

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22122022-241287 CG-DL-E-22122022-241287

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5731] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 21, 2022/अग्रहायण 30, 1944 No. 5731] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 21, 2022/AGRAHAYANA 30, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5969(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिदिष्ट ओ/ओ. ठे डिप्यूटी किमश्नर पी.ओ शिलांग (कनेक्टिंग बाईपास) के कि.मी 20.5 से 41.05 मेघालय राज्य के तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण,प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची मेघालय राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सूचित किया जाना है-कनेक्टिंग बाईपास तक की भूमिका अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर (रेवन्यू)	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	मेघालय	ईस्ट खासी	मावरिंकनेंग	1 मावखानु

8537 GI/2022 (1)

	Connecting Bypass के कि.मी. 20.5 से 41.05 तक	हिल्स	3 4 5	डिंगपसोह रिगसॉ थंगसलाई सेहपोंगडेंग मावरिंकनेंग
			6	मावरिंकनेंग

फा. सं. PMU-Mylliem/P/Bharatmala Pkg1B/LA/02]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2022

S.O. 5969(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from 20.5 to 41.05 of O/o. The Deputy Commissioner P.O Shillong (Connecting Bypass) in the State of MEGHALAYA for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of MEGHALAYA

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. Not yet assigned ,Connecting Bypass in the State of MEGHALAYA

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Additional Deputy Commissioner (Revenue)	20.5KM To 41.05KM	MEGHALAYA	East Khasi Hills	Mawryngkneng	1 Mawkhanu 2 Diengpasoh 3 Ryngksaw 4 Thangsalai 5 Ksehpongdeng 6 Mawryngkneng	

[F. No. PMU-Mylliem/P/Bharatmala Pkg1B/LA/02]

RAJESH GUPTA, Director